

कार्यालय आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) एवं (2) के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की नियुक्ति।

इस विभाग के 4 फरवरी, 2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के क्रम में वित्तीय सेवाएं विभाग में अधिकारियों की तैनाती/स्थानान्तरण/पदोन्नतियां/अधिवर्षिता आदि के कारण परिवर्तन होने के फलस्वरूप केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की सूची एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की सूची

क्रम सं.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी (एए) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या	आबंटित कार्य का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)
	सर्वश्री/सुश्री	सर्वश्री/सुश्री	
1.	अभय गर्ग, अवर सचिव usestt-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748733)	सुधीर श्याम, निदेशक sudhir.s@nic.in (दूरभाष: 23748778)	स्थापना: एफआर 56 (ज) के तहत आरआर, नियुक्ति, एसीआर, प्रतिनियुक्ति (विदेश सहित), प्रशिक्षण, आईडब्ल्यूएसयू, एसआईयू, कल्याण, अधिकारियों की समीक्षा सहित वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित मामले, आंतरिक सतर्कता, स्टाफ शिकायत, पेंशन आदि; अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न अग्रिम प्रदान करना, वकीलों को फीस का भुगतान, चिकित्सा दावों का निपटान एवं सीजीएचएस मामले, परिवार कल्याण कार्यक्रम।
2.	संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव usbo1-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748766)	एस. आर. मेहर, उप सचिव sewa.mehar66@nic.in (दूरभाष: 23362133)	बैंकिंग परिचालन-1 (बीओ-1): आरबीआई के गवर्नर/डिप्टी-गवर्नर, एसबीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के सीएमडी तथा ईडी, नाबार्ड के सीएमडी की नियुक्ति, आईडीबीआई में पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति, पीएसबी तथा नाबार्ड के पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन, भत्ते तथा अन्य शर्तें व निबंधन, आरबीआई तथा पीएसबी के निदेशक मंडल का गठन, कर्मकार कर्मचारी निदेशकों की

			नियुक्ति, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों तथा पीएसबी के अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति।
3.	ए. के. घोष, अवर सचिव usboa-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748755)	डॉ. संजय कुमार, निदेशक sanjay.k76@gov.in (दूरभाष: 23748642)	<p>बैंकिंग परिचालन एवं लेखा (बीओए-1):</p> <ul style="list-style-type: none"> सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समेकित समीक्षा तैयार करना और उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करना। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लेखांकन प्रणाली तथा अंतिम लेखा का तरीका। पीएसयू बैंकों के कार्य प्रणाली प्रतिफलों का अध्ययन तथा विश्लेषण। पीएसबी/एफआई के कर संबंधी मामले। पीएसबी द्वारा केन्द्र सरकार को देय लाभांश। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा की गई पीएसबी की वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं की संवीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई। (सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना सहित) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी पुनर्संरचना तथा शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान, बैंकों के सार्वजनिक मुद्दे। यूएसएड के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को विदेशी सहायता अनुदान जारी करना। पीएसबी तथा पीएसबी व अन्य सरकारी विभागों/पीएसई के मध्य विवाद तथा मध्यस्थता। पीएसबी में वकीलों की नियुक्ति। गोवा में पुर्तगाली बैंकों के बचे हुए मामले। बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोलना तथा उनके स्थान में परिवर्तन। बैंकिंग परिचालन से संबंधित सभी नीतिगत मामले, जैसे लाइसेंस देना, आमेलन, पुनर्संरचना, अधिस्थगन निधि तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण। भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाएं। पीएसबी के कार्य। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं से छूट के संबंध में अधिसूचना तथा बीआर अधिनियम एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और

			<p>अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति।</p> <ul style="list-style-type: none"> सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आरबीआई और राज्य स्तरीय बैंकों संबंधी सभी अधिनियमों/ विनियमों/ नियमों का अभिशासन।
4.	<p>ज्ञानतोष राय, अवर सचिव</p> <p>jnanatosh.roy@gov.in</p> <p>boa2-dfs@nic.in</p> <p>(दूरभाष: 23748751)</p>	<p>आनंद मधुकर</p> <p>विशेष कार्य अधिकारी</p> <p>dirboa2-dfs@nic.in</p> <p>(दूरभाष: 23742100)</p>	<p>बैंकिंग परिचालन एवं लेखा (बीओए-II):</p> <ul style="list-style-type: none"> साख सूचना कंपनी। सभी पीएसबी के समझौते तथा ओटीएस सहित एनपीए/वसूली की निगरानी से संबंधित कार्य। संसदीय मामले, वीआईपी/पीएमओ संदर्भ, शिकायतें एवं उपर्युक्त मामलों से संबंधित अन्य कार्य। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाके में बैंकों द्वारा राहत कार्यों सहित एनपीए/दबावग्रस्त आस्तियां (क्षेत्रीय दबाव से इतर) से संबंधित सभी मामले। दबावग्रस्त आस्ति स्थिरकरण निधि (एसएसएफ)। बैंकों को लेखापरीक्षा करना, पीएसबी/एफआई के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और प्रतिफल का निर्धारण। संसद में पीएसबी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। पीएसबी द्वारा बैंक गारंटी, साख पत्र और वचन पत्र/सुखद और संबंधित शिकायतें। पीएसबी/आरबीआई का सिटीजन चार्टर। सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अधिग्रहण/लीजिंग/रेटिंग/स्थान, स्टेट अधिकारी की रिहाई। भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन (आईडीसी और एफडीआई पालिसी मामलों सहित)। बैंकिंग क्षेत्र सुधार (ईएसई इंडेक्स और पीएसबी सुधार एजेंडा सहित)। एनबीएफसी पर एनबीएफसी और अपीलीय प्राधिकारी। धोखाधड़ी और भगौड़ा अपराधियों सहित परिचालन जोखिम प्रबंधन (साइबर - सुरक्षा और डिजिटल भुगतान सुरक्षा के अलावा)।

			<ul style="list-style-type: none"> • एनबीएफसी और सीआईसी से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमनों/नियमों का प्रशासन। • पूर्णकालिक निदेशकों के कथन का आशय/मुख्य निष्पादन संकेतक/प्रदर्शन का मूल्यांकन।
5.	राघव भट्ट, उप निदेशक raghav.bhatt@nic.in (दूरभाष: 23748715)	सुधीर श्याम, निदेशक sudhir.s@nic.in (दूरभाष: 23748778)	<p>बैंकिंग परिचालन-II (बीओ-II):</p> <p>(i) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) नीतिगत मामले, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आईएफएससी में प्रचार-प्रसार।</p> <p>(ii) वित्तीय प्रणाली से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमनों/नियमों जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, चिट फंड अधिनियम, 1982 तथा इनामी चिट और परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 आदि अन्य विविध अधिनियमों/विधेयकों का अभिशासन। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007।</p> <p>(iii) अंतर्राष्ट्रीय संबंध (बैंकिंग, बीमा तथा पेंशन सुधार), वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), संयुक्त निवेश निधि-ओमान भारत निधि तथा भारत साऊदी निधि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। डब्ल्यूटीओ तथा सीमा बैंकिंग सुविधाएं।</p> <p>(iv) करेंसी चेस्ट खोलना, कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायालय परिसमापक कार्यालय। आतंकवाद वित्तपोषण संबंधी मामले। वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद। सीकेवाईसी को छोड़कर केवाईसी से संबंधित सभी मामले। शैल कंपनियों के बैंक खातों का परिचालन।</p>
6.	अरुण कुमार, अवर सचिव usbo3-dfs@nic.in arun.kumar@nic.in (दूरभाष: 23748725)	सुरेन्द्र सिंह, उप सचिव surrender.singh64@gov.in (दूरभाष: 23368993)	<p>बैंकिंग परिचालन-III (बीओ-III): बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों में ग्राहक सेवा। व्यक्तियों/एसोसिएशनों से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतों/अभ्यावेदनों जैसे कि इन संस्थाओं में चेकों के समाशोधन में देरी, ड्राफ्टों का भुगतान न करना/जारी न करना, डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी न करना/जारी करने में देरी, संस्था के स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार/उदंडतापूर्ण व्यवहार/परेशान करना, मृतकों के खाते का निपटान न करना/निपटान में देरी करना, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में खातों का अंतरण न करना/अंतरण में देरी, नए खातों को न खोलना/खोलने में देरी, ग्राहकों के स्थायी अनुदेशों का अननुपालन, परिपक्वता</p>

			से पहले सावधि जमाराशियों का भुगतान न करना, क्रेडिट कार्डों, एटीएम इत्यादि के जरिए भुगतान सहित पेंशनभोगियों को भुगतान में विलंब संबंधी शिकायतों का समाधान। सरकारी/निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों/ एफआई/बीमा कंपनियों के संबंध में डीएआरपीजी/डीपीजी से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों के विरुद्ध सांसदों/वीआईपी/ पीएमओ इत्यादि से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। बैंकिंग ग्राहक सेवा केन्द्र, बैंकिंग लोकपाल।
7.	के. एम. नंदाकुमार, अवर सचिव ir@nic.in usir-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748753)	एस. आर. मेहर, उप सचिव sewa.mehar66@nic.in (दूरभाष: 23362133)	औद्योगिक संबंध (आईआर): आईडीबीआई/आरबीआई सहित पीएसबी के सेवा मामले, औद्योगिक विवाद अधिनियम के मामले, पीएसबी तथा आरबीआई यूनियनों तथा बैंकिंग उद्योग में संघों से संबंधित मानव संसाधन मामले, बैंकों में स्थानांतरण, पदोन्नति तथा मानव संसाधन विकास की नीति के द्विपक्षीय समझौते, बैंक कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों की आईबी रिपोर्ट, विदेशी शाखाओं में बैंक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, मानव संसाधन सुधार।
8.	अभय गर्ग, अवर सचिव	सुधीर श्याम, निदेशक sudhir.s@nic.in (दूरभाष: 23748778)	सरप्लस सेल: एएआईएफआर और बीआईएफआर के सरप्लस स्टाफ की पुनर्तैनाती, डीओपीटी से परामर्श सरप्लस स्टाफ के न्यायालय मामलों का कार्य, सरप्लस स्टाफ के आरटीआई और अवकाश, सेवानिवृत्ति लाभ, परिलब्धियों और भत्तों इत्यादि जैसे व्यक्तिगत मामलों सहित उनके सभी सेवा मामले तथा दैनिक मामले।
9.	शिव दत्त शर्मा, अवर सचिव shiv.sharma67@nic.in (दूरभाष: 23748750)	गुरदीप सिंह, उप सचिव gurdeep.m@nic.in (दूरभाष: 23748709)	सामान्य प्रशासन (जीए): हाउसकीपिंग, सफाई, स्टोर, कैन्टीन, आरएंडआई, पुस्तकालय, स्टाफ कार चालक, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों को वाहन, कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद एवं कंप्यूटरों, प्रिंटर एवं अन्य उपकरणों का रख-रखाव। डीएफएस के स्टाफ एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों, आदि के सीएमडी/ईडी/पीआरओ को पहचान पत्र देना।
10.	शिव दत्त शर्मा, अवर सचिव shiv.sharma67@nic.in (दूरभाष: 23748750)	गुरदीप सिंह, उप सचिव gurdeep.m@nic.in (दूरभाष: 23748709)	रोकड़ अनुभाग: विभाग के रोकड़ तथा लेखा से संबंधित सभी मामले।

11.	<p>मनीष कुमार मित्तल, अवर सचिव manish.mittal@gov.in (दूरभाष: 23748717)</p>	<p>ए. के. डोगरा, उप सचिव dogra.ak@nic.in (दूरभाष: 23340846)</p> <p>वी.वी.एस. खड़ायत, उप सचिव vvs.kharayat@nic.in (दूरभाष: 23748769)</p>	<p>आईटी सेल: वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-आफिस, डिजिटलीकरण, डिजिटल इंडिया पहल, एनआईसी इत्यादि के साथ समन्वय से संबंधित कार्य।</p> <p>यून एन ई-गवर्नमेंट इंडेक्स और डिजिटल सेवा, वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी की समिति से संबंधित कार्य।</p> <p>साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्य।</p>
12.	<p>मनीष कुमार मित्तल, अवर सचिव manish.mittal@gov.in (दूरभाष: 23748717)</p>	<p>जैसमिन जेम्स, उप सचिव jasmine.james@nic.in (दूरभाष: 23748731)</p>	<p>समन्वय: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की बैठकें एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकें, सचिव (एफएस) की स्टाफ बैठक; वीआईपी संदर्भ, पीएमओ संदर्भ के निपटान की निगरानी एवं समीक्षा, आरबीआई के लंबित मामलों का समन्वय, अन्य मंत्रालयों/विभागों के संसद प्रश्नों के लिए सामग्री का संकलन करना एवं प्रस्तुत करना; वीआईपी संदर्भों से संबंधित संसद प्रश्न; सचिव (एफएस) से केबिनेट सचिव को मासिक अ.शा. पत्र, वित्तीय सेवाएं विभाग के आरटीआई मामलों के लिए सीपीआईओ, एसीपीआईओ, अपीलीय प्राधिकारी (एए) की नियुक्ति एवं डीएफएस के आरटीआई मामलों हेतु नोडल अनुभाग एवं वार्षिक रिपोर्ट आदि के लिए सीआईसी के साथ चर्चा करना, वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित आरंभिक सामग्री का उन्नयन, वीआईपी, पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय आदि के संदर्भ, जिसमें डीएफएस के दो से अधिक प्रभाग शामिल हों, का समन्वय।</p>
13.	<p>सौम्यजित घोष, अवर सचिव soumyajit.ghosh@nic.in (दूरभाष: 23748767)</p>	<p>ए. के. डोगरा, उप सचिव dogra.ak@nic.in (दूरभाष: 23340846)</p>	<p>संसद: संसद प्रश्नों, नोटिसों, स्वीकृत प्रश्नों को संग्रहित करना, उनकी पहचान करना एवं उन्हें चिह्नित करना तथा मंत्री से फाइलें अनुमोदित करवाना। मंत्रियों के पैड्स के लिए तथ्य एवं उत्तर तैयार करना, संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति का संबोधन, 377 के अंतर्गत लंबित आश्वासनों, विशेष उल्लेख एवं संदर्भ तथा आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य मामलों का ध्यान (ट्रेक) एवं रिकार्ड रखना।</p>

14.	<p>सौम्यजित घोष, अवर सचिव soumyajit.ghosh@nic.in (दूरभाष: 23748767)</p>	<p>अंशुमन शर्मा, उप सचिव anshuman.sharma@gov.in (दूरभाष: 23748772)</p>	<p>औद्योगिक वित्त-I (आईएफ-I): निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) अधिनियम, 1981 तथा आईआईएफसीएल की अर्थक्षम/व्यवहार्य अवसंरचना वाली परियोजनाओं (एसआईएफटीआई) के वित्तपोषण की स्कीम का अभिशासन, एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल एवं आईएफसीआई लि. से संबंधित परिचालनात्मक/नीतिगत/बजटीय मामले, आईआईबीआई लि. को बंद करने और अन्य संबंधित मामले, बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के व्यक्तिगत मामले, - एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईएफसीआई और आईडीएफसी लि. में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) और सरकार द्वारा नामित निदेशक। एक्जिम बैंक में वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, विद्युत, वस्त्र, निर्यात, स्टील, टेलीकॉम, सड़क, शिपिंग आदि जैसे क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मामले, आईआईएफसीएल, एक्जिम बैंक, आईएफसीआई लि. और आईआईबीआई लि. की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। चयनित क्षेत्रों में दबावग्रस्त आस्तियों का पुनरुद्धार, परियोजना जांच समूह बैठक, क्षेत्रीय दबाव और राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना निधि से संबंधित सभी मामले, रत्नागिरी गैस एंड पॉवर प्रा. लि. (आरजीपीपीएल) से संबंधित मामले। एक्जिम बैंक और आईआईएफसीएल के सिटिजन चार्टर। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस), मीडिया से संबंधित मामले।</p>
15.	<p>नेहा चौहान, उप निदेशक cmsec-bkg@nic.in chauhan.neha11@nic.in (दूरभाष: 23748775)</p>	<p>सिंधु पिल्लई ए., निदेशक sindhu.p@nic.in (दूरभाष: 23344462)</p>	<p>औद्योगिक वित्त-II (आईएफ-II): शिक्षा ऋण, राज्य वित्त निगम, नाबार्ड - सूक्ष्म वित्त, एसएचजी बैंक लिंकेज, सूक्ष्म वित्त और अन्य संबंधित मामले, एनआरएलएम, एनयूएलएम (एसईपी), सूक्ष्म वित्त संस्थान तथा इसके संबंध में विधान, महिला स्व-सहायता समूह, एनबीएफसी - एमएफआई, स्टैण्ड-अप इंडिया।</p>
16.	<p>नेहा चौहान, उप निदेशक usif2-dfs@nic.in chauhan.neha11@nic.in (दूरभाष: 23748775)</p>	<p>सिंधु पिल्लई ए., निदेशक sindhu.p@nic.in (दूरभाष: 23344462)</p>	<p>औद्योगिक वित्त-II (आईएफ-II): सिडबी और एनएचबी में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और व्यक्तिगत मामलों से संबंधित मामले। एनएचबी एवं आवास नीति, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), सिडबी, सूक्ष्म तथा लघु</p>

		<p>ए. के. डोगरा, उप सचिव dogra.ak@nic.in (दूरभाष: 23340846)</p>	<p>उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड, एमएलआई, क्रेडिट गारंटी स्कीम से संबंधित मामले एवं उक्त विषय से संबंधित अन्य मामले। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना। एनएचबी एवं सिडबी के सिटीजन चार्टर से संबंधित मामले। योजना। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सभी मामले, एसजेएसआरवाई, एसजीएसवाई तथा अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा अन्य संबंधित मामले।</p> <p>आवास: 10 लाख रुपए तक के आवास ऋण, जहां घर की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक न हो, के संबंध में 1% की ब्याज सहायता योजना के परिचालन से संबंधित मामले। आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए नोडल एजेंसियां क्रमशः राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) हैं। एचएफसी और एससीबी को आगे स्वीकृत करने हेतु प्राप्त सभी दावे एनएचबी और आरबीआई को भेजे जा रहे हैं। निम्न आय आवास हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीएफटीएलआईएच) के कार्यान्वयन का प्रबंधन आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) से संबंधित मामले। शहरी गरीब हेतु आवास ऋण ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) से संबंधित मामलों का परिचालन एचयूपीए मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का अभिशासन।</p> <p>रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1986 (1986 का 54)</p>
17.	<p>मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव usins1-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748788)</p>	<p>भूमिका वर्मा, संयुक्त निदेशक bhumika.verma@nic.in (दूरभाष: 23365808)</p>	<p>बीमा-1 (बीमा-1)- एलआईसी कारोबार - एलआईसी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, एलआईसी की रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत करना, भारत में एलआईसी की शाखाएं खोलना/समाप्त करना, एलआईसी के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, एलआईसी में पीपी अधिनियम का अभिशासन तथा एलआईसी में सम्पदा मामलों से संबंधित संदर्भ, एलआईसी का विदेशी परिचालन/अनुषंगियां, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य जीवन बीमा योजनाओं के संबंध में संदर्भ, भारत सरकार</p>

		<p>द्वारा वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं जैसे कि जनश्री बीमा योजना, शिक्षा सहयोग योजना, वरिष्ठ बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा उनके लिए बजटीय प्रावधान करना, एलआईसी के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाएं, केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, डाक जीवन बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित/सहायता प्राप्त सभी योजनाएं, कोई अन्य जीवन बीमा अथवा सामाजिक सुरक्षा उत्पाद/योजना प्रस्ताव, अन्य: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110ज के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण।</p> <p>निम्नलिखित समितियों के संबंध में समन्वय कार्य: महिला कल्याण समिति, अनु.जा./ अनु.ज.जा. कल्याण समिति, प्राक्कलन समिति।</p> <p>नियुक्तियां-एलआईसी - एलआईसी के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशकों का चयन व नियुक्ति, एलआईसी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति, एलआईसी की अनुषंगी कंपनियों में पदेन सदस्यों की नियुक्ति, एलआईसी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमति, एलआईसी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों तथा अन्य कार्यपालकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत वाणिज्यिक रोजगार हेतु अनुमति,</p> <p>इरडा - इरडा के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियां, इरडा के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें, इरडा का बजट व निधियां, ब्रोकरेज एजेंसियों से संबंधित अन्य मामले, नई कंपनियों का प्रवेश तथा इरडा के विनियम।</p> <p>सेवा मामले - सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों में सेवा मामले, नियम तथा विनियम, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा सेवा मामलों पर दिए गए अभ्यावेदन, विकास अधिकारियों/अभिकर्ताओं/ मध्यस्थों के सेवा मामले, एलआईसी/ सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में वेतन संशोधन/ बोनस/वीआरएस, पेंशन योजना,/ वाणिज्यिक रोजगार के संबंध में नीतिगत मामलों का कार्यान्वयन। जीवन बीमा निगम लि. का</p>
--	--	---

18.	<p>कुलभूषण नय्यर, अवर सचिव usins2-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748789)</p>	<p>मुदिता मिश्रा, निदेशक mudita.mishra@nic.in (दूरभाष: 23362349)</p>	<p>सिटीजन चार्टर।</p> <p>बीमा-II: शिकायतें: एआईसीएल तथा इरडा सहित सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा सेवा मामलों से इतर प्रदान की जा रही सेवाओं के विरुद्ध प्राप्त जन शिकायतें, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लोक शिकायत अधिकारियों की आवधिक बैठकें, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में आंतरिक लोक शिकायत निवारण तंत्र का कार्य, बाह्य निवारण तंत्र जैसे उपभोक्ता अदालतें, लोकपाल, लोक अदालतें, एमएसीटी एवं अदालतों आदि का कार्य, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110ज के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण/गैर-जीवन बीमा कंपनियों के सिटीजन चार्टर।</p> <p>हाऊसकीपिंग - बीमा प्रभाग में कंप्यूटरों, फर्नीचर, फोटोकॉपियरों आदि की देखभाल एवं रख-रखाव। बीमा कंपनियों के स्टाफ एवं कार्यपालकों के लिए पहचान-पत्र (आई-कार्ड)।</p> <p>बीमा क्षेत्र में सुधार - बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित सभी मामले, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) अधिनियम, 1956, जीआईबीएनए, 1972, आईआरडीए अधिनियम, 1999 एवं बीमांकक अधिनियम, 2006 में सुधार संशोधन संबंधी, विधि आयोग की रिपोर्टों का कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।</p> <p>नियुक्तियां - एआईसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य कार्यपालकों के चयन से संबंधित नीतिगत मामले, एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के बोर्ड में नियुक्ति, बीमा कार्यपालकों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति, एआईसीएल सहित गैर-जीवन कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों के लिए अनुमति।</p> <p>साधारण बीमा - एआईसीएल सहित साधारण बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की बीमा योजनाओं से संबंधित मामले एवं उनके संबंध में लेखापरीक्षा पैरा, सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का कंप्यूटरीकरण, गैर-जीवन पीएसआईसी के</p>
-----	--	--	--

			<p>सर्वेक्षकों एवं एजेंटों से संबंधित संदर्भ, सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का विदेशों में परिचालन, पुनर्बीमा, अन्य पक्ष प्रशासक, शुल्क सलाहकार समिति, शाखा खोलना/बंद करना, युद्ध जोखिम (मरीन हल) पुनर्बीमा योजना, 1976 का अभिशासन से संबंधित संदर्भ, विदेशों में बीमा पालिसी के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति संबंधी आरबीआई से संदर्भ। साधारण बीमा कंपनियों/ जीआईसी/एआईसीएल के वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करना, गैर-बीमा कंपनियों में पीपी अधिनियम का अभिशासन एवं इन कंपनियों में सम्पदा मामलों से संबंधित संदर्भ।</p> <p>समन्वय - बजट, कर प्रस्ताव, बीमा से संबंधित बजट घोषणा, वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, इंडिया रेफरेंस एन्यूअल, आर्थिक सम्पादकों के सम्मेलन, पीएमओ/मंत्रिमंडल संदर्भ, सीआईआई एवं एफआईसीसीआई, इंश्योरेंस प्रभाग से संबंधित कार्य, बीमा कंपनियों में ई-भुगतान से जुड़े मामले, बीमा कंपनियों का कंप्यूटरीकरण।</p> <p>निम्नलिखित समितियों से जुड़ा समन्वय कार्य - वित्त संबंधी स्थायी समिति, अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, याचिका समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति (सीओपीयू)।</p> <p>अन्य - डब्ल्यूटीओ बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय समझौते, भारत एवं किसी अन्य देश के बीच अंतर-सरकारी करार।</p>
19.	राघव भट्ट, उप निदेशक raghav.bhatt@nic.in (दूरभाष: 23748715)	ए. के. डोगरा, उप सचिव dogra.ak@nic.in (दूरभाष: 23340846)	जीएसटी सेल: डीएफएस के अंतर्गत सभी संस्थाओं में जीएसटी को कार्यान्वित करने के लिए तैयारी की निगरानी करना, जीएसटी के संदर्भ में 'बैंकिंग, वित्त और बीमा' क्षेत्र समूह को इनपुट उपलब्ध कराना, जीएसटी पर राजस्व विभाग में संबंधित नोडल अधिकारी के साथ समन्वय, डीएफएस के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संबंध में जीएसटी के समन्वय, प्रारंभ और कार्यान्वयन से संबंधित मामले, इत्यादि।
20.	सुरेश चन्द्र आर्य, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी sc.arya@nic.in (दूरभाष: 23748758)	ए. के. डोगरा, उप सचिव dogra.ak@nic.in (दूरभाष: 23340846)	आंकड़ा विश्लेषण (डीए): भारतीय रिजर्व बैंक ऋण नीति - व्यस्त मौसम - सुस्त मौसम तथा चुनिंदा ऋण नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र का आकलन तथा क्षेत्रीय ऋण का विश्लेषण, बैंक जमाराशियों तथा अग्रिमों से संबंधित बैंकिंग


			<p>आंकड़े, बैंकों की जमाराशियां तथा अग्रिम, बैंक की जमाराशियों तथा अग्रिमों पर ब्याज की दरें, आरबीआई, आईबीए से संबंधित परिणामों तथा महत्वपूर्ण सूचना को प्रदर्शित करना, बैंकिंग सुधारों के संबंध में अध्ययन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र से संगत अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण, वित्तीय क्षेत्र सुधारों आदि के संबंध में समितियों की रिपोर्टों का विश्लेषण। प्रबंधन सूचना प्रणाली - बैंकिंग उद्योग से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं मिलान। रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट (आरएफडी), आर्थिक सर्वेक्षण, बजट उद्घोषणा और बजट से संबंधित सभी मामले, पीएसी और सीएजी लेखापरीक्षा पैरा, विभिन्न अवसरों पर वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री के भाषण।</p>
21.	<p>अरुण कुमार, अवर सचिव sct@nic.in arun.kumar@nic.in (दूरभाष: 23748725)</p>	<p>गुलाब सिंह, उप सचिव singh.gulab@nic.in (दूरभाष: 23748722)</p>	<p>कल्याण अनुभाग: पीएसबी/एफआई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती, पदोन्नति तथा कल्याण उपायों से संबंधित मामले, पीएसबी/एफआई, बीमा कंपनियों में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण से संबंधित नीतिगत मामला, आरआरबी इत्यादि में आरक्षण मामले।</p>
22.	<p>पी. के. सिंह, अवर सचिव usac-dfs@nic.in acsec-bkg@nic.in (दूरभाष: 23748762)</p>	<p>अशोक कुमार दास, उप सचिव ashok.das61@nic.in (दूरभाष: 23748736)</p>	<p>कृषि ऋण (एसी): कृषि ऋण, कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008, नाबाई (सेवा मामलों से इतर) कृषि वित्त कारपोरेशन (सेवा मामलों से इतर) से संबंधित मामले, उक्त विषय पर राज्य के कानून, सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंकों सहित), वर्ल्ड बैंक, एडीबी तथा केएफडब्ल्यू से सहायता प्राप्त ग्रामीण/कृषि ऋण परियोजनाएं, सहकारी बैंकों द्वारा की गई अपीलें, सूक्ष्म वित्त से संबंधित मामले, प्राकृतिक आपदाओं, दंगा उपद्रवों इत्यादि से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता, खादी एवं ग्रामीण उद्योग निगम, हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र को बैंक ऋण। नाबाई का सिटीजन चार्टर।</p>
23.	<p>सौम्यजित घोष, अवर सचिव soumyajit.ghosh@nic.in (दूरभाष: 23748767)</p>	<p>मनीष गुप्ता, निदेशक manish.gupta70@nic.in (दूरभाष: 23362422)</p>	<p>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): आरआरबी अधिनियम, 1976 तथा उसके अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों के संबंध में विधायी मामले, आरआरबी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों का नामांकन, अध्यक्ष की नियुक्ति, आरआरबी की सिफारिश, आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, वेतन संशोधन, श्रम</p>

			<p>शक्ति नियोजन, सभी आरआरबी की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी समीक्षा प्रस्तुत करना, आरआरबी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्टाफ सेवा विनियम तथा पदोन्नति नियमावली बनाना, आरआरबी के आईआर मामले। आरआरबी का नागरिक घोषणा-पत्र। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित महिलाओं, कमजोर वर्गों को ऋण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों को ऋण, सच्चर समिति द्वारा अनुशंसित चुनिन्दा पैरामीटरों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई, डीआरआई योजना, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को पीएसएल ऋण।</p>
24.	<p>एल. सी. त्रेहन, अवर सचिव vigilance-dfs@nic.in</p>	<p>मनीष गुप्ता, निदेशक manish.gupta70@nic.in dirvig-dfs@nic.in (दूरभाष: 23362422)</p>	<p>सतर्कता: मुख्य सतर्कता आयुक्त/सीटीई के साथ परामर्श, पीएसबी/एफआई के लिए सीवीओ नामित करना, सीबीआई से पत्राचार, भ्रष्टाचार रोधी उपायों के संबंध में वार्षिक कार्रवाई योजना, सीबीआई तथा आरबीआई द्वारा धोखाधड़ियों के मामलों की जांच, भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के अंतर्गत मामले, निवारक सतर्कता, आरबीआई/पीएसबी/एफआई तथा बीमा कंपनियों में सतर्कता प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं, पीएसबी/एफआई के महाप्रबंधकों/कार्यकारी निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा उन पर सतर्कता निगरानी, पीएसबी में बड़ी धोखाधड़ियां (भारत में तथा विदेशों में), भ्रष्टाचार रोधी उपायों पर प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ, बैंक सुरक्षा, बैंकों में डकैतियों तथा नुकसान की रोकथाम, ईडी/सीएमडी के मामले में मुकदमा चलाने की स्वीकृति, वार बुक मामले, सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट, पीएसबी/एफआई में आचरण विनियम, पीएसबी में सेवानिवृत्ति के उपरांत रोजगार विनियम, डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित सीवीसी/सीबीआई संदर्भ।</p>
25.	<p>अभय गर्ग, अवर सचिव uspr-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748760)</p>	<p>गुरदीप सिंह, उप सचिव gurdeep.m@nic.in (दूरभाष: 23748709)</p>	<p>पेंशन सुधार (पीआर): पेंशन सुधारों का समन्वय एवं इन्हें लागू करना, नई पेंशन प्रणाली लागू करना एवं इसके कवरेज को राज्य सरकारों तथा असंगठित क्षेत्रों तक बढ़ाना और सहअंशदायी स्वावलंबन स्कीम का कार्यान्वयन, अटल पेंशन योजना, गैर-सांविधिक अंतरिम पेंशन निधि</p>

			विनियामक तथा विकास प्राधिकरण का सृजन एवं इससे संबंधित प्रशासनिक मामले, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 तैयार करना एवं इसे संसद में पारित कराना, गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों एवं उपदान निधियों की निवेश पद्धति से संबंधित मामले।
26.	सुरिन्दर कुमार, अवर सचिव usfi-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748771)	ए. के. डोगरा, उप सचिव dogra.ak@nic.in (दूरभाष: 23340846)	वित्तीय समावेशन (एफआई): विभिन्न उद्देश्य के लिए संपार्श्विक वित्तीय समावेशन सूचना और रिपोर्ट तथा ई-समीक्षा सहित वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य, न्यूनतम जमा राशि, नकदी प्रबंधन और डिजिटल भुगतान प्रभार, कार्डों को छोड़कर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों पर व्यापार की ऑन-बोर्डिंग, डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों से संबंधित बैंकिंग मामले, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मिशन कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिनिधि और संबद्ध वित्तीय समावेशन मामले।
27.	सुरिन्दर कुमार, अवर सचिव usfi-dfs@nic.in (दूरभाष: 23748771)	अनिदिता सिन्हारे, निदेशक anindita@nic.in (दूरभाष: 23748718)	वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन विभाग से संबंधित बाह्य सहयोग मामले, कार्ड स्वीकार्य अवसंरचना, वित्तीय संस्थाओं में ई-गवर्नेंस, बैंक शाखा और एटीएम नेटवर्क, मुख्य बैंक योजना, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां, राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समितियां और जिला स्तरीय समन्वय समितियां, विशेषकृत आबंटित मामले को छोड़कर डिजिटल लेनदेनों के प्रचार से संबंधित मामले, वित्तीय समावेशन निधि, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, वित्तीय सुदृढ़ता और विकास काउंसिल, भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति, लोक शिकायत निवारण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन के लिए स्पेश संचार तकनीक।
28.	सुभाष चन्द्र आमीन, अवर सचिव drt@nic.in (दूरभाष: 23748741)	संजय कुमार, उप सचिव sanjay.kumar1971@nic.in dsdrt-dfs@nic.in (दूरभाष: 23364063)	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी): बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत डीआरटी/डीआरएटी की स्थापना, डीआरटी अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाना अथवा संशोधित करना, डीआरटी/डीआरएटी में अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों, पंजीयकों, सहायक पंजीयकों, वसूली अधिकारियों तथा अन्य पदों को भरना, प्रशासनिक मामलों/समीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश इत्यादि जारी करना,

			डीआरटी/डीआरएटी द्वारा मामलों के संबंध में प्रगति तथा निपटान; डीआरटी द्वारा की गई वसूली, डीआरटी/डीआरएटी के संबंध में बजटीय प्रावधान, निगरानी, इत्यादि। सीकेवाईसी से संबंधित मामला। सरफासी अधिनियम, आरडीडीबीएफआई अधिनियम की निगरानी तथा संशोधन, एआरसी के मामले, सीईआरएसएआई के पंजीयक/प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की नियुक्ति, कारोबार को सुविधाजनक बनाना, केन्द्रीय रजिस्ट्री।
29.	राजीव कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) ol@nic.in (दूरभाष: 23748744)	शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ol@nic.in (दूरभाष: 23360784)	हिन्दी: सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, संसद प्रश्नों, स्थायी समितियों, बैठकों के कार्यवृत्तों से संबंधित अनुवाद का कार्य, हिन्दी शिक्षण योजना तथा डीएफएस की इंडक्शन (कार्य) सामग्री में यथा वर्णित विविध कार्य।

- कोई विवाद होने की स्थिति में उप सचिव (समन्वय) संबंधित सीपीआईओ को आवेदन चिह्नित करेंगे तथा इस संबंध में उप सचिव (समन्वय) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
- कार्यालय में नामित सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी की अनुपस्थिति में स्थापना अनुभाग द्वारा समय-समय पर नियुक्त लिंक अधिकारी नियमित आधार पर नामित सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के स्थान पर आरटीआई से संबंधित सभी मामलों का निपटान करेंगे।
- मौजूदा सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों की अधिवर्षिता, स्थानांतरण तथा पदोन्नति आदि के मामले में स्थापना अनुभाग द्वारा नियुक्त किए गए पदस्थ अवर सचिव तथा निदेशक/उप सचिव समन्वय अनुभाग द्वारा सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए जाने तक क्रमशः सीपीआईओ तथा अपीलीय प्राधिकारी माने जाएंगे।



(जैसमिन जेम्स)

नोडल अधिकारी (आरटीआई)/उप सचिव (समन्वय)

दूरभाष: 011-23748731


वित्तीय सेवाएं विभाग के सभी अधिकारी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थः

- वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव।
- सचिव (वित्तीय सेवाएं) के प्रधान निजी सचिव।
- अपर सचिव (एफआई)/अपर सचिव (बी)/अपर सचिव (डी), वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रधान निजी सचिव।

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषितः

एनआईसी, वित्तीय सेवाएं विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करें।



(जैसमिन जेम्स)

नोडल अधिकारी (आरटीआई)/उप सचिव (समन्वय)